


-: SC/ST/OBC श्रेणी के विद्यार्थीयों के लिए सत्र 2019-20 :-

:- में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना :-

आप सभी छात्राध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि SC/ST/OBC श्रेणी के लिए सत्र 2019-20 में ऑनलाईन छात्रवृत्ति के फॉर्म आवेदन करने शुरू हो गये हैं नये आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों को लगावाना आवश्यक है :-

1. आधार कार्ड ।
2. भासाशाह कार्ड ।
3. ओरिजनल मूल निवास प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना ।
4. ओरिजनल जाति प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना ।
5. ओरिजनल फीस की रसीद स्कैन कर अपलोड करना ।
6. ओरिजनल अन्तिम वर्ष की अंक तालिका स्कैन कर अपलोड करना ।
7. स्वयं के बैंक खाते की जानकारी बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी.आर. कोड., बैंक शाखा ।
8. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश दिनांक, शैक्षणिक संस्थान का नाम, पाठ्यक्रम का नाम आदि ।
9. मोबाइल न. ।
10. ओरिजनल वार्षिक आय प्रमाण पत्र ( एक पेज का जो दो उत्तरदायी व्यक्तियों से अटरस्टेट हो ) ।
11. ओरिजनल विवाह प्रमाण पत्र ( अगर किसी का हो तो ) ।
12. गत वर्ष का गेप (Gap) विवरण यदि कोई हो तो ।
13. मृत्यु प्रमाण-पत्र (जिसके माता/पिता/पति संरक्षक का हो)।
14. पेंशन की 6माह की बैंक स्टेटमैन्ट (प्रार्थी के माता/पिता/पति जो राजकीय पेंशन भोगी हो)।
15. ऑनलाईन आवेदन करते समय अन्य कोई विवरण पूछा जाए तो उसको भी अवश्य भरे ।

नोट :- अन्य जानकारी के लिए समाज कल्याण की विभागीय वेबसाईट ([www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in)) पर दिशा-निर्देशों का अवलोकन अवश्य करे या महाविद्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।



### आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए

#### प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....  
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह.....
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-  
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर) .....(जो स्पष्ट अंकित हो)  
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर .....(जो स्पष्ट अंकित हो)  
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर .....(जो स्पष्ट अंकित हो)  
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्बिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु. ....	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु. ....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु. ....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या व्याज, लाभांश से आय: रु. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आय: रु. ....	कुल वार्षिक आय: रु. ....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।  
दिनांक.....

#### हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम .....

मय विद्यार्थी से सम्बंध .....

#### प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियों .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
निवासी .....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के  
हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं  
है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति  
का नाम.....  
(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा—संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद  
सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड  
मेन्डर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति  
का नाम.....  
(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि  
मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु. ....  
है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है  
और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का  
गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश  
करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं  
420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य  
करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर  
मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

#### प्रारूप भाग-IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) .....पिता/पति का नाम .....  
आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपरिथित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार  
आभेकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

#### हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी

का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत  
अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिशनर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर